

अंत्योदय-सरल



हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

श्रमिकों के लड़कों व अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर शगुन के तौर पर वित्तीय सहायता।

पात्रता

- श्रमिकों का मासिक वेतन रू० 27,000 / से अधिक नहीं हो।
- इस योजना के तहत श्रमिक की सेवा अवधि तीन वर्ष निर्धारित है।
- * आवेदन-पत्र शादी के आयोजन की तिथि से छः मास के अंदर-अंदर प्रस्तुत करना होगा।

लाभ :

- 21,000 रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- ❖ उक्त योजना का लाभ स्वयं श्रमिक की शादी व दो लडकों तक उपलब्ध करवाया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज :

- > नियोक्ता प्रमाण-पत्र
- > कर्मचारी की मजदूरी पर्ची (पूर्व मास)
- विवाह प्रमाण-पत्र / संस्था की अंडरटेकिंग (शादी से पूर्व)
- > शपथ-पत्र (स्वयं)

सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभाार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रू0 10 ∕ -	रू0 10 ∕ —

सेवा का अधिकार समय सीमाः 90 दिन